



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004

Phone.: 0651-2400851/2400852/2400979/2401847, Fax-0651-2400850/138.

Web site : www.jspcb.nic.in; e-mail : ranchijspcb@gmail.com

लोक सुनवाई की सूचना

Banardih Coal Mining Project of 12 MTPA (Peak) in mine lease area of 1818.10 ha of M/s. Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL), located in Village Ate, Banardih, Bari, Barwadih, Jagaldaga, Rampur, Sabano, Surli, Tota and Udayapura in Tehsil Latehar & Chandwa, Dist.- Latehar (Jharkhand) द्वारा Coal खनन कार्य के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि 29.12.2021 (दिन - बुधवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे 'स्थान-Project Uchch Vidyalaya, Sasng, Vill-Ete, Panchayat-Bari, Tehsil, Chandwa, Dist.-Latehar' में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें तथा Covid-19 के प्रावधानानुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह के पूर्व तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, लातेहार/पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस०ओ०3067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का झापट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, लातेहार ।
2. जिला उद्योग केन्द्र, लातेहार ।
3. जिला पर्षद/नगर निगम, लातेहार ।
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची।
6. संबंधित पंचायत।
7. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय, लातेहार ।

(यतीन्द्र कुमार दास)
सदस्य सचिव।